

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित	प्रारम्भ में आवेदन	योग	माह में प्राप्त आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		योग
									30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री लौटू राम अधीक्षण अभियन्ता प्र०सु०प्र० सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	-	-	-	39	37	37	00	00	00

अधीक्षण अभियन्ता एवं
 जनसूचना अधिकारी, सि०वि०
 07.02.2019

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित अपीलये पत्रों की सं०		योग	माह में प्राप्त अपीलीय पत्र	कुल विचराधीन अपीलये पत्र	माह में निस्तारित अपीलीय पत्र	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री डी०के० मिश्रा मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन सि०वि० उ०प्र०, लखनऊ	0	01	01	03	04	वर्तमान के पूर्व के अवशेष-02 योग- 03	0	01	01

01.02-2019
अधीक्षण अभियन्ता एवं
जनसूचना अधिकारी, सि०वि०

सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित अपिशोभित शास्ति (दण्ड) का विवरण ।
जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर-प्रदेश लखनऊ

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड में विहित धनराशि रुपये	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गई धनराशिकी अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंचाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	पाद संख्या- एस. 8/684 / सी / दिनांक 28.08.10	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पं-708/दि० 1-6-11, पत्रांक-1587/दिनांक 12-10-12 एवं पत्रांक: 1120/ / प्र०सु०प्र०/दिनांक 7.6.13 के माध्यम से पारित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन)को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांकसी-15/एकेएसआरई/दिनांक 15.5.2013 एवं पत्रांक-सी-1564/सोन/दिनांक 13.6.13 के माध्यम से उक्त अपिशोभित अप्रदण्ड माफ किये जाने हेतु मा० राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया गया है । इस कार्यालय के पत्रांक-1318/प्र.सु.प्र./दिनांक 01.07.2013एवं पत्रांक:1664/प्र.सु.प्र./शा.दि.दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 285/प्रसुप्र/दिनांक 5.3.2014, पत्रांक-1350/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक-237/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु एवं पत्र लिखा गया है ।
2	तटबंध	अधिपारी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड थोरखपुर	पाद संख्या- एस.11 2824 / सी / 09	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के प-पंक-943 /दि० 31.5.12एवं पत्रांक- 1594/दि०12-10-12 पत्रांक 1136/प्रसुप्र/दिनांक 10.6.13 पत्रांक 1135 / प्रसुप्र / दिनांक 18.07.2013 पत्रांक 1506 / प्रसुप्र / दिनांक 24.02


3	तद्वैय	अधिकासी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर	वाच संख्या- एस7-2705 दिनांक 10.06.11	25000.00					2013 एच 1753 / प्र 0 सु 0 प्र 0 / दिनांक 13.9.13 पत्रांक 310 / प्र सु प्र / दिनांक 6.3.2014 पत्रांक-1349 / प्र सु प्र / दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 241 / प्र सु प्र / दिनांक 12.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
4	तद्वैय	अधिकासी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर	वाच संख्या- एस.7-853/ / सी / 09 दिनांक 03.10.12	25000.00					इस कार्यालय के पत्रांक-593 / प्र सु प्र / दि 0 28.2. 12. पत्रांक 1597 / प्र सु प्र / दिनांक 12.10. 12. पत्रांक 352 / दि 0 15.2.13, पत्रांक 440 / प्र सु प्र / दिनांक 27.2.13, पत्रांक 709 / प्र सु प्र / दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137 / प्र सु प्र / दिनांक 10. 6.13, पत्रांक 1319 / प्र सु प्र / दिनांक 01.07. 2013 पत्रांक 1565 / प्र सु प्र / दिनांक 07.08. 2013, पत्रांक 1784 / प्र 0 सु प्र 0 / दिनांक 18 सितम्बर, 2013, पत्रांक 308 / प्र सु प्र / दिनांक 6.3. 2014, पत्रांक-1352 / प्र सु प्र / दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235 / प्र सु प्र / दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
5	तद्वैय	अधिकासी अभियन्ता सिंघाई खण्ड-49 पदापीपुर सुल्तानपुर	वाच संख्या- एस.7-719 / सी / 10 दिनांक 19.04.12	25000.00					इस कार्यालय के पत्रांक-593 / प्र सु प्र / दि 0 28.2. 12. पत्रांक 1597 / प्र सु प्र / दिनांक 12.10. 12. पत्रांक 352 / दि 0 15.2.13, पत्रांक 440 / प्र सु प्र / दिनांक 27.2.13 एवं पत्रांक 709 / प्र सु प्र / दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137 / प्र सु प्र / दिनांक 10.6.13, पत्रांक 1319 / प्र सु प्र / दिनांक 01.07.2013, पत्रांक 1565 / प्र सु प्र / दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 308 / प्र सु प्र / दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352 / प्र सु प्र / दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235 / प्र सु प्र / दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
									अधिकासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 07/वा 0 सु प्र 0-49 सु 0 / दिनांक 11.1.13 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त दण्ड की माफी हेतु दिनांक 1.11.12 के माध्यम से मा 0 आयोग ने अपील की गयी है एवं इस कार्यालय के पत्रांक-820 / प्र सु प्र / दिनांक 22.4. 13, पत्रांक 1122 / प्र सु प्र / दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1331 / प्र सु प्र / दिनांक 03.07.2013, पत्रांक 1570 / प्र सु प्र / दिनांक 07.08.2013, पत्रांक

							1785/प्रसुप्र/दिनांक 18 सितम्बर 2013, 305/प्रसुप्र/दिनांक 8.3.2014, पत्रांक-1356/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक-233/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है।
6	तदेव	श्री श्री0पी0 सिंह अधिवारी अभियन्ता सिंघाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर	वाद संख्या- एस4-687 /सी/11 दिनांक 02.02.12	25000.00	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबादके आदेश दिनांक 29.4. 13 द्वारा दण्ड स्थगित।		अधिवारी अभियन्ता सिंघाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर कोइस कार्यालय के पत्रांक 1400/प्रसुप्र/दिनांक 30.8.12 1511/प्रसुप्र/दिनांक 26.9.12, पत्रांक 819/प्रसुप्र/दिनांक 24.4.13, पत्रांक 1134/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक 1333/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से उक्त अधिरोपित दण्ड की वसूली हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है। मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंघाई गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक-3316/प्रसुप्र/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त वसूली के विरुद्ध दिनांक 29.4.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
7	तदेव	श्री आर.पी गौतम अधिवारी अभियन्ता सिंघाई खण्ड हाथरस	वाद संख्या- एस10 -2017/सी/11 दिनांक 01.12.11	25000.00	दण्ड वसूल		अधीक्षण अभियन्ता सिंघाई कार्य मण्डल मथुरा द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0-2547 /सिकामन/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिरोपिते घनराशि की कटौति सम्बन्धित अधिवारी अभियन्ता के वेतन से कर ली गयी है एवं उक्त घनराशि को राजकोश में जमा कराकर रसीद की छायाप्रति भारत एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1123/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक-1337/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013 पत्रांक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 एवं के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
8	तदेव	श्री राजाराम अहिरवार अधिवारी अभियन्ता केन नहर प्रखण्ड बीदा	वाद संख्या- एस4-20/ सी/11 दिनांक 17.05.12	25000.00			अधिवारी अभियन्ता केन नहर प्रखण्ड बीदा को इस कार्यालय के पत्रांक-1121 /प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 एवं पत्रांक 1336/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013, पत्रांक 1569/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 1353/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.2013, पत्रांक 309/प्रसुप्र/दिनांक 8.3.2014 एवं पत्रांक 238/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है।

5

9	तदैव	श्री आर० बी० सिंह अधिसारी अभियन्ता सिंचाई खंड प्रथम बलिया	वाद संख्या- एस.4-489/ सी/11 दिनांक	25000.00	दण्ड वसूल (रसीद अप्राप्त)	निर्देशित किया गया है। अधिसारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 30/सिनिमम/दिनांक 31.07.2013 के माध्यम से दण्ड माफी हेतु मा० राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की गयी है। अधिसारी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर को इस कार्यालय के पत्रांक-177/प्रसुप्र/दिनांक 22.01.13 एवं पत्रांक:441/प्रसुप्र/दिनांक 27.02.13, पत्रांक 1119/ " प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक: 1330/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली की रसीद की प्रमाणित प्रति हेतु निर्देशित किया गया है। (दण्ड वसूल)
10	तदैव	अधिसारी अभियन्ता सिंचाई खंड प्रथम बलिया	वाद संख्या- एस.4- 1429/ सी/11 दिनांक 13.6.12	25000.00		अधिसारी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया को इस कार्यालय के पत्रांक: 23/प्रसुप्र/दिनांक 4.1.12 पत्रांक 1133/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक: 1329/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013, पत्रांक:1567/प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013, 307/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक-1355/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक: 234/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है।
11	तदैव	अधिसारी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद।	वाद सं.एस-7/ 362/सी/10	25000.00	वाद पुनर्स्थापित	इस कार्यालय के पत्रांक:1571/प्रसुप्र/दि० 8.8.2013, पत्रांक 1782/प्र०सु०प्र०/दिनांक 18.9.2013 एवं पत्रांक-1351/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 240/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है अधिसारी अभियन्ता द्वारा अधिरोपित दण्ड माफ किये जाने हेतु मा० आयोग के समक्ष दिनांक 11.6.2013 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई 23.10.13 को होनी थी, अद्यतन स्थिति की सूचना अभी तक अप्राप्त है।
12	तदैव	अधिसारी अभियन्ता लोवर खण्ड आगरा नगर आगरा	वाद सं.एस-6/ 1483/सी/10	25000.00		इस कार्यालय के पत्रांक:1571/प्रसुप्र/दि० 8.8.2013,पत्रांक 1751/प्र०सु०प्र०/ दिनांक 13 सितम्बर 2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक 1354/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं के माध्यम से दण्ड वसूल/अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है। अधिसारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 1129/दिनांक 24.3.15 के

						माध्यम से सुविधित किया गया है कि माध्यम से सूचना जारी कर दिया जायेगा कि 07.02.2019 को जनता से सुनाया जायेगा।
जनता संख्या 11	बाद सं.एस-3/ 1688/सी/11	25000.00				इस कार्यलय के पत्रांक 895/प्रसुप/दि. 08.2018, के माध्यम से दण्ड वसूल/अद्यतन स्थिति हेतु पत्र लिखा गया है।


 07.02-2019
 अधीक्षक प्रशिक्षण एवं
 जन सूचना अधिकारी